



13/07/24

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
जॉन रिपोर्ट तदनुसार सरमथुरा प्राप्त। मुताबिक रिपोर्ट
अर्धीचा द्वारा अर्धीचा पत्र में अंकित तथा सही है। ऐसी
स्थिति में अर्धीचा पत्र स्वीकार योग्य है। अतः अर्धीचा
पत्र अर्धीचा स्वीकार किया जाता है एवं वांछित सुद्धि
दिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। विस्तृत निर्णय
पृष्ठ 30 पर लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे।
पत्रावली कुसल सुमार होकर नुम्बर से कुमड़ी
बाद तदनुसार दारिजल दफ्तर में।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत में
रहुनाया गया।


(सदस्य)
लोक अदालत


अध्यक्ष
लोक अदालत
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बादरी जिला - सोलपुर (पंजाब)